ई–मेल-pmgsygairsain@gmail.com
CIN No -U45203UR2008SGC032591

ब्रिडकुल–पी0एम0जी0एस0वाई0,
पी0आई0यू0, गैरसैण
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी0आई0यू0 कार्यालयः–नियर पोस्ट ऑफिस सिमली –246474
जिला– चमोली, उत्तराखण्ड

पत्रांक :–47/ब्रिडकुल/पी0एम0जी0एस0वाई0(गैरसैण) 06(A)/2024 **दिनांकः– 24/07/2024**

अनुस्मारकः–2

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर, चमोली।

विषयः– जनपद–चमोली में विधानसभा क्षेत्र गैरसैण के अन्तर्गत टैटूडा से नैणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.475 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में।

संन्दर्भः–1. पत्रांक 35/ब्रिडकुल/पी0एम0जी0एस0वाई0(गैरसैण) 06(A)/2024, दिनांकः–27/06/2024
2.पत्रांक 13/ब्रिडकुल/पी0एम0जी0एस0वाई0(गैरसैण) 06/2024, दिनांकः–18/05/2024
3.भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/80/2015/एफ0सी0/1490/दिनांक 23–10–2021।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित पत्र क्रमांक संख्या 01 द्वारा आपके कार्यालय को 23 बिन्दू की आख्या व प्रमाण पत्र संलग्न कर दिनांक 18/05/2024 को ई–मेल के माध्यम से व दिनांक 29/05/2024 को आपके कार्यालय में उक्त पत्र प्राप्त करवाया गया है। जिसके पश्चात उक्त प्रकरण की वास्तविक स्थिति का पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे की अग्रिम कार्यावाही ससमय की जा सके।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(इं0 नरेश कुमार)
इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
गैरसैण, ब्रिडकुल

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इंन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
3. उपमहाप्रबन्धक (सडक एवं सेतु) मु0 ब्रिडकुल देहरादून।

इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
गैरसैण, ब्रिडकुल

ई–मेल–pmgsygairsain@gmail.com
CIN No -U45203UR2008SGC032591

ब्रिडकुल–पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0, गैरसैण

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी0आई0यू0 कार्यालयः–नियर पोस्ट ऑफिस सिमली –246474
जिला– चमोली, उत्तराखण्ड

पत्रांक :–47/ब्रिडकुल / पी0एम0जी0एस0वाई0(गैरसैण) 06(A) / 2024 दिनांकः– 24 /07/ 2024

अनुस्मारकः–2

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर, चमोली।

विषयः– जनपद–चमोली में विधानसभा क्षेत्र गैरसैण के अन्तर्गत टैटूडा से नैणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.475 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–1. पत्रांक 35 / ब्रिडकुल / पी0एम0जी0एस0वाई0(गैरसैण) 06(A) / 2024, दिनांकः–27 / 06 / 2024
2.पत्रांक 13 / ब्रिडकुल / पी0एम0जी0एस0वाई0(गैरसैण) 06 / 2024, दिनांकः–18 / 05 / 2024
3.भारत सरकार का पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 80 / 2015 / एफ0सी0 / 1490 / दिनांक 23–10–2021।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित पत्र क्रमांक संख्या 01 द्वारा आपके कार्यालय को 23 बिन्दू की आख्या व प्रमाण पत्र संलग्न कर दिनांक 18 / 05 / 2024 को ई–मेल के माध्यम से व दिनांक 29 / 05 / 2024 को आपके कार्यालय में उक्त पत्र प्राप्त करवाया गया है। जिसके पश्चात उक्त प्रकरण की वास्तविक स्थिति का पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे की अग्रिम कार्यावाही ससमय की जा सके।

<u>संलग्न–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(इं0 नरेश कुमार)
इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
गैरसैण, ब्रिडकुल

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इंन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
3. उपमहाप्रबन्धक (सडक एवं सेतु) मु0 ब्रिडकुल देहरादून।

इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
गैरसैण, ब्रिडकुल

ब्रिडकुल–पी0एम0जी0एस0वाई0,
पी0आई0यू0, गैरसैण
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी0आई0यू0 कार्यालयः–नियर पोस्ट ऑफिस सिमली –246474
जिला– चमोली, उत्तराखण्ड

पत्रांक :–35/ब्रिडकुल/पी0एम0जी0एस0वाई0(गैरसैण) 06(A)/2024 दिनांकः–27/06/2024

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर, चमोली।

विषयः– जनपद–चमोली में विधानसभा क्षेत्र गैरसैण के अन्तर्गत टैटूडा से नैणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.475 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में।

संन्दर्भः–1. पत्रांक 13/ब्रिडकुल/पी0एम0जी0एस0वाई0(गैरसैण) 06 /2024, दिनांकः–18/05/2024
2.भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/80/2015/एफ0सी0/1490/दिनांक 23–10–2021।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित पत्र कमांक संख्या 01 द्वारा आपके कार्यालय को 23 बिन्दू की आख्या व प्रमाण पत्र संलग्न कर दिनांक 18/05/2024 को इ–मेल के माध्यम से व दिनांक 29/05/2024 को आपके कार्यालय में उक्त पत्र प्राप्त करवाया गया है। जिसके पश्चात उक्त प्रकरण की वास्तविक स्थिति का पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे की अग्रिम कार्यावाही ससमय की जा सके।

<u>संलग्न–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(इं0 नरेश कुमार)
इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
गैरसैण, ब्रिडकुल

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
3. उपमहाप्रबन्धक (सडक एवं सेतु) मु0 ब्रिडकुल देहरादून।

इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
गैरसैण, ब्रिडकुल

ई–मेल pmgsy.gairsain@gmail.com
CIN No. U45201UR2008SGC032591

ब्रिडकुल–पी0एम0जी0एस0वाई0,
पी0आई0यू0, गैरसैण
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी0आई0यू0 कार्यालय:–नियर पोस्ट ऑफिस सिमली –246474
जिला– चमोली, उत्तराखण्ड

पत्रांक :13 /ब्रिडकुल/पी0एम0जी0एस0वाई0(गैरसैण) 06 /2024 दिनांक:– 18/05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर, चमोली।

विषय:– जनपद–चमोली में विधानसभा क्षेत्र गैरसैण के अन्तर्गत टैटूडा से नैणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.475 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संन्दर्भ:– भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/80/2015/एफ0सी0/1490/दिनांक 23–10–2021।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित पत्र द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग गोपेश्वर के पत्रांक 851/12–1 गोपेश्वर, दिनांक 13–08–2021 (प्रति संलग्न) के पत्र संहित निम्नानुसार प्रेषित है:–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 01 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–1)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 02 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–2)
3	प्रतिपूरक वनीकरण :	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.95 हे0 अवनत वन भूमि लोहबा रेंज के अन्तर्गत कण्डारीखोड कक्ष सं0–17 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 (क) के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा शर्त मान्य है।
	(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जाऐगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपरण कार्या नही किया गया है।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 (ख) के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा शर्त मान्य होने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक–3)

Scanned with OKEN Scanner

	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र ओक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है तथा कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपाण किया जायेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 (ग) के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा शर्त मान्य होने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक–4)
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2003 तथा 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998–एफ0सी0 (pt2) दिनांक 18.09.2003 एवं 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.475 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 से 10 वर्षो तक रखरखाव एवं एन0पी0वी0 की देय धनराशि मू0 2063236.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से 15.07. 2021 द्वारा UBI, Lodhi Complex branch block 11 CGO Complex, Phase-I, Lodhi Road New Dehli-110003 में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–5 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक संख्या 5555/12–1 गोपेश्वर, दिनांकः–23.05. 2022)
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रायोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04(ख) के अनुपालन उक्त शर्त मान्य है व प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–6)
5	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यून्तम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 60 Trees including 24 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 उक्त के सापेक्ष प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–7)
6	गाइडलाइन्स में दिये गये दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की एक प्रति कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इस की कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नही की जाऐगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई– पोर्टल (https://parivesh-noc-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित जमा किए जाऐगे।	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि ई– पोर्टल (https://parivesh-noc-in) द्वारा चालान तैयार कर रू0 4953140.00 वन विभाग के पक्ष में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा, कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खातें में जमा की जा चुकी है।
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनिमयन साइनेज लगायें जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–8)
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	आवश्यकता नहीं है।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्ययी वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहल के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जाऐगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

19	इसमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देष फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यविक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगातार मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाऐगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही हेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के सापेक्ष प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–9)
22	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई– पोर्टल (https://parivesh-noc-in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

महोदय उक्त के कम में अवगत कराना है कि ई– पोर्टल (https://parivesh-noc-in) में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण अनुपालना आख्या अपलोड करने में विलम्ब हूआ है, किन्तु दिनांक 09.02.2024 को अनुपालन आख्या ई– पोर्टल (https://parivesh-noc-in) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>संलग्न–यथोपरि</u>

भवदीय

(इं0 नरेश कुमार)
इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
गैरसैण, ब्रिडकुल

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इंन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2. उपमहाप्रबन्धक (सडक एवं सेतु) मु0 ब्रिडकुल देहरादून।

इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
गैरसैण, ब्रिडकुल

Scanned with OKEN Scanner

ई–मेल-pmgsygairsain@gmail.com
CIN No -U45203UR2008SGC032591

ब्रिडकुल–पी0एम0जी0एस0वाई0,
पी0आई0यू0, गैरसैण
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी0आई0यू0 कार्यालयः–नियर पोस्ट ऑफिस सिमली –246474
जिला– चमोली, उत्तराखण्ड

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

पत्रांक :13 /ब्रिडकुल/पी0एम0जी0एस0वाई0(गैरसैण) 06 /2024 दिनांकः– 18/05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर, चमोली।

विषयः– जनपद–चमोली में विधानसभा क्षेत्र गैरसैण के अन्तर्गत टैटूडा से नैणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.475 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/80/2015/एफ0सी0/1490/दिनांक 23–10–2021।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित पत्र द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग गोपेश्वर के पत्रांक 851/12–1 गोपेश्वर, दिनांक 13–08–2021 (प्रति संलग्न) के पत्र संहित निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	**प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा** सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त **संख्या** 01 का **अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण पत्र** संलग्न है। (संलग्नक–1)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	**प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा** सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त **संख्या** 02 का **अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण पत्र** संलग्न है। (संलग्नक–2)
3	प्रतिपूरक वनीकरण :	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त **संख्या** 03
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.95 है0 अवनत वन भूमि लोहबा रेंज के अन्तर्गत कण्डारीखोड कक्ष सं0–17 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	(क) के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा शर्त **मान्य है।**
	(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपरण कार्या नही किया गया है।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त **संख्या** 03 (ख) के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा शर्त **मान्य होने** का **प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है।** (संलग्नक–3)

	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र ओक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है तथा कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपाण किया जायेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 (ग) के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा शर्त मान्य होने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक–4)
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2003 तथा 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998–एफ0सी0 (pt2) दिनांक 18.09.2003 एवं 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.475 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 से 10 वर्षो तक रखरखाव एवं एन0पी0वी0 की देय धनराशि मू0 2063236.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से 15.07. 2021 द्वारा UBI, Lodhi Complex branch block 11 CGO Complex, Phase-I, Lodhi Road New Dehli-110003 में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–5 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक संख्या 5555/12–1 गोपेश्वर, दिनांकः–23.05. 2022)
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रायोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04(ख) के अनुपालन उक्त शर्त मान्य है व प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–6)
5	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यून्तम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 60 Trees including 24 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 उक्त के सापेक्ष प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–7)
6	गाइडलाइन्स में दिये गये दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की एक प्रति कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इस की कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नही की जाऐगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई– पोर्टल (https://parivesh-noc-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित जमा किए जाऐगें।	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि ई– पोर्टल (https://parivesh-noc-in) द्वारा चालान तैयार कर रू0 4953140.00 वन विभाग के पक्ष में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा, कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खातें में जमा की जा चुकी है।
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनिमयन साइनेज लगायें जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–8)
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	आवश्यकता नहीं है।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्ययी वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्दशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहल के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जाऐगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19	इसमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देष फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यावेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगातार मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाऐगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही हेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के सापेक्ष प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–9)
22	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई– पोर्टल (https://parivesh-noc-in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

महोदय उक्त के कम में अवगत कराना है कि ई– पोर्टल (https://parivesh-noc-in) में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण अनुपालना आख्या अपलोड करने में विलम्ब हूआ है, किन्तु दिनांक 09.02.2024 को अनुपालन आख्या ई– पोर्टल (https://parivesh-noc-in) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>संलग्न–यथोपरि</u>

भवदीय

(इं0 नरेश कुमार)
इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
गैरसैण, ब्रिडकुल

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इंन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2. उपमहाप्रबन्धक (सडक एवं सेतु) मु0 ब्रिडकुल देहरादून।

इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
गैरसैण, ब्रिडकुल

संलग्नक–1

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमाली के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टेटुड़ा से नैणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

Nal

इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
ब्रिडकुल गैरसैंण

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक–2

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टेटुडा से नैणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
त्रिडकुल गैरसैंण

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि टैटूणा से नैणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कण्डारीखोड क0सं0 17 में पूर्व में किसी भी योजना के तहत वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर वन क्षेत्र केदारनाथ

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर(चमोली)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-4

प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि टैटूणा से नैणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कण्डारीखोड क0सं0 17 में कम से कम 50 प्रतिशत औक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
सोल्या वन क्षेत्र गैरसैंण

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक–5

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Email- dfokedarnath@gmail.com
Phone / Fax No-01372252149

पत्रांकः– 5555 /12-1 गोपेश्वर, दिनांक 23-5 2022

सेवा मे,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय – जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र गैरसैंण के अन्तर्गत टैटुणा से नैणी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.475 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यातर्वन।

संदर्भः– आपका पत्रांक 1278/यू0सी0पी0/FC/UK/ROAD/50196/2020 दिनांक 24–11–2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत करना है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी/ यू0सी0पी0 /06 /68/ 2021/ एफ0सी0/1016 दिनांक 16–11–2021 द्वारा चाही गई बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित हैः–

1– सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 27–04–2022 को ऑनलाईन अपलोड की गई है।

2– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना हेतु जमा की गई धनराशि रू0 10,94,161.00 के सापेक्ष किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन /योजना संलग्न है।

3– सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या –7 के अनुसार परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू. 10,94,161.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू. 9,69,075.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 20,63,236.00 मात्र आर.टी.जी.एस. के माध्यम UTTARANCHAL CAMPA के खाता सं0 6150196481 में जमा की गई है (संलग्नः– चालान की प्रति)।

4– सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 3 (ख) से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि विषयॉकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 5555 /12-1 दिनॉकित
प्रतिलिपिः– आवासीय अभियन्ता, ब्रिडकुल पी0एम0जी0एस0वाई0 गैरसैण को सूचनार्थ प्रेषित।

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

c/c

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नाम – जनपद चमोली के अन्तर्गत हैदुणा से मैणी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.475 है0 का भूमि हस्तान्तरण के ऐवज में दो गुने क्षेत्रफल 2.95 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम – कण्डारीखोड़ क0स0 17

रेंज लोहबा रेंज

क्षेत्रफल 2.95 है0

प्रभाग का नाम – केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।

रोपित किये जाने वाले पौधो की सं0 3245 पौध।

क्र0सं0	कार्य का विवरण (प्रथम वर्ष)	मात्रा	इकाई	इकाई दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य करना।	2.950	है0	186.00	548.70
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	2.950	है0	6133.00	18092.35
3	दीवाल बन्दी (फैंसिंग)	2.950	है0	62572.00	184587.40
4	भूमि एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालो का निर्माण एवं अन्य अभियान्त्रिक कार्यों हेतु प्राविधान	2.950	है0	13000.00	38350.00
5	गड्ढा खुदान (0.30X0.30X0.45) रेखांकन सहित	3245	सं0	11.47	37220.15
6	निरीक्षण पट्टिका बनाना।	2.950	है0	1500.00	4425.00
7	पौधो का मूल्य	3245	सं0	11.00	35695.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	2.950	है0	1265.00	3731.75
9	अन्य कार्य	-	लॉस0	45000.00	45000.00
				कुल योग–	367650.35
	द्वितीय वर्ष				
1	गड्ढो का भरान (0.30X0.30X0.45)	3245	सं0	2.18	7074.10
2	पौधों का मूल्य	3245	सं0	3.00	9735.00
3	पौध का ढुलान कार्य	3245	सं0	16.00	51920.00
4	पौधारोपण व थावलाबन्दी	3245	सं0	4.26	13823.70
5	निराई गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	3245	सं0	5.43	17620.35
6	खाद व दवा पर व्यय	2.950	है0	350.00	1032.50
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय 7 माह	2.950	है0	915.20	2699.84
8	अन्य व्यय साईनबोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो के प्रचार-प्रसार एवं डाक्यूमेन्टेशन आदि कार्य	2.95	लॉस0	3500.00	10325.00
9	अन्य कार्य	-	लॉस0		30000.00
				कुल योग–	144230.49
	तृतीय वर्ष 10%				
1	पुनः गड्ढा खोदना व पौध रोपण कार्य	325	सं0	7.00	~~2271.50~~ 2275.00
2	पौध का ढुलान कार्य	325	सं0	16.00	~~5192.00~~ 5200.00
3	पौधों की लागत	325	सं0	14.00	~~4543.00~~ 4550.00
4	पौध निराई गुड़ाई कार्य करना। प्रथम	3245	सं0	2.52	8177.40
5	2,3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	-	लॉस0	35000.00	35000.00
6	रोपण वर्ष के उपरान्त अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.95	है0	915.20	32398.08
7	अन्य व्यय		लॉस0	16100.00	16100.00
	कुल योग–				~~103681.98~~ 103700.48

		चतुर्थ वर्ष			
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना				
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	2.95	है0	600.00	1770.00
3	अन्य व्यय	2.95	है0	915.20	32398.08
1	पौधों की सिंचाई गुड़ाई एवं गलतिया कार्य	-	-	ल0स0	30000.00
		3245	स0	2.91	9442.95
	योग				73611.03
		पंचम वर्ष			
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना				
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	2.95	है0	600.00	1770.00
3	अन्य व्यय	2.95	है0	915.20	32398.08
		-	-	ल0स0	35000.00
	योग				69168.08
		षष्ठम वर्ष			
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना				
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	2.95	है0	600.00	1770.00
3	अन्य व्यय	2.95	है0	915.20	32398.08
		-	-	ल0स0	25000.00
	योग				59168.08
		सप्तम वर्ष			
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना				
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	2.95	है0	600.00	1770.00
3	अन्य व्यय	2.95	है0	915.20	32398.08
		-	-	ल0स0	35000.00
	योग				69168.08
		अष्ठम वर्ष			
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना				
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	2.95	है0	600.00	1770.00
3	अन्य व्यय	2.95	है0	915.20	32398.08
		-	-	ल0स0	35000.00
	योग				69168.08
		नवम वर्ष			
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना				
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	2.95	है0	600.00	1770.00
3	अन्य व्यय	2.95	है0	915.20	32398.08
		-	-	ल0स0	35000.00
	योग				69168.08
		दशम वर्ष			
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना				
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	2.95	है0	600.00	1770.00
3	अन्य व्यय	2.95	है0	915.20	32398.08
		-	-	ल0स0	35000.00
				योग	69168.08
			1094200.83	महा योग	~~1094182.93~~
			1094200.00	देय धनराशि	~~1094161.00~~

किन्तु सीलिंग के अनुसार देय कुल = [2.95 x 370902.00]

= 10,94,161.00/—

जांच किया रुपये 10,94,161.00 मात्र के लिए।

Priyanka

संलग्नक–6

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चमोली के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टेटुड़ा से नैणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार को प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा देय किया जायेगा।

इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
ब्रिडकुल गैरसैण

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक- 7

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (गढ़वाल क्षेत्र)

धन प्राप्ति प्रपत्र

लेखा फार्म संख्या 1

विक्रेता प्रभाग

पुस्तक सं0 043

डिपो का नाम वरिष्ठ आवासीय अभियंता दिनांक 30/10/21.

श्री/मैसर्स ब्रिडकुल- पी0एम0जी0एस0वाई0

पता गौचर, जिला- चमोली

(शब्दों में रुपये) दो लाख अठानब्बे हजार एक सौ छियासठ मात्र

पैसे मात्र नियमानुसार नगद/चैक/ड्राफ्ट संख्या R.T.G.S. द्वारा प्राप्त किया।

दिनांक .... जारीकर्ता बैंक स्थान ....

धनराशि (अंकों में) रू0 लौट सं0 34/20-21 में कटान, ऑफरोड

1. लौट संख्या ढुलान डिपो तक ट्रक ढुलान तथा डिपो

2. विक्रय मूल्य रुपये प्रशासनिक व्यय की धनराशि

3. (–) नगद छूट रू0 252683=00

4. कुल देय धनराशि रू0 धनराशि 45483=00

5. विलम्ब शुल्क रू0 जी0एस0टी0 18% 298166=00

6. प्लाट रेट रुपये कुल धनराशि

7. अन्य रू0 ....

8. योग (4+5+6+7) रू0 ....

9. (–) पूर्व में जमा धनराशि रू0 ....

10. शुद्ध देय धनराशि रुपये ....

298166=00

कार्यालय प्रयोग हेतु

कैश बुक सं0 .... पृष्ठ सं0 ....

दिनांक .... को प्रविष्ठ किया।

हस्ताक्षर डिपो लेखाकार

रसीद प्राप्त करने पर
जमाकर्ता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

संलग्नक–8

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चमाली के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टेटुडा से नैणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 09 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनिमयन साइनेज लगाये जायेंगे।

इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
ब्रिडकुल गैरसैण

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमाली के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टेटुड़ा से नैणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 21 के अनुपालन में पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यावेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगातार मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाऐगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सॉपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही हेगी।

इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
ब्रिडकुल गैरसैंण

Scanned with OKEN Scanner